

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 350
दिनांक 22 जुलाई, 2025/ 31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र

350. श्री सतीश कुमार गौतमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र की स्थापना साइबर अपराधों में समन्वय स्थापित करने के लिए की गई थी;
- (ख) भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र के उद्देश्य और कार्य क्या हैं और क्या यह साइबर अपराधों से निपटने में प्रभावी है; और
- (ग) सरकार द्वारा सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)**

(क) से (ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

लोक सभा अता. प्र.स. 350 दिनांक 22.07.2025

- ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (<https://cybercrime.gov.in>) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।
- iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। आई4सी द्वारा संचालित सीएफसीएफआरएमएस के अनुसार, अब तक 17.82 लाख से अधिक शिकायतों में 5,489 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।
- iv. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
- v. अभी तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 9.42 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2,63,348 आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।
- vi. गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है।
- vii. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से आई4सी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर अपराधियों की पहचान की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है। अब तक, बैंकों से प्राप्त 11 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा और 24 लाख लेयर 1 म्युल खातों को संदिग्ध रजिस्ट्री की भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ साझा किया गया है और 4631 करोड़ रुपये से अधिक बचाए गए हैं।

लोक सभा अता. प्र.स. 350 दिनांक 22.07.2025

- viii. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 10,599 आरोपियों की गिरफ्तारी, 26,096 लिंकेज और 63,019 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
- ix. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्रिटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कुंभ मेला 2025 के दौरान अभियान, मन की बात, कॉलर ट्यून, कई माध्यमों से प्रचार हेतु मार्झगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले पर अखबार में विज्ञापन, डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर अपराधियों की अन्य कार्यप्रणालियों पर दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, डिजिटल गिरफ्तारी पर विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।
- x. केंद्र सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने एक ऐसी प्रणाली तैयार की है, जिसके तहत ऐसी फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की पहचान की जा सकेगी और उन्हें ब्लॉक किया जा सकेगा, जिनमें भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित होता है और जो भारत से आती हुई प्रतीत होती हैं।
- xi. केंद्र सरकार ने मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा को मजबूत करने और सरकार की नागरिक केंद्रित पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संचार साथी पोर्टल

लोक सभा अता. प्र.स. 350 दिनांक 22.07.2025

- (www.sancharsaathi.gov.in) शुरू किया है। पोर्टल अन्य बातों के साथ-साथ, नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने, उनके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन को जानने और डिस्कनेक्शन के लिए मोबाइल कनेक्शन की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है जो या तो आवश्यक नहीं हैं या उनके द्वारा नहीं लिए गए हैं, ब्लॉकिंग और ट्रैसिंग के लिए चोरी / खोए हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट करता है, मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता की जांच करता है, भारतीय टेलीफोन नंबर के साथ प्राप्त आने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉल को कॉलिंग लाइन पहचान के रूप में रिपोर्ट करता है।
- xii. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए दूरसंचार दुरुपयोग से संबंधित जानकारी संबंधित हितधारकों के साथ साझा करने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) शुरू किया है।
